

मुर्गांव पत्तन प्राधिकरण/MORMUGAO PORT AUTHORITY
सामान्य प्रशासन विभाग/GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
प्रशिक्षण कक्ष/TRAINING CELL

छात्रों के शैक्षणिक/अध्ययन दौरों के लिए नियम और दिशानिर्देश
Rules and Guidelines for Students' Educational /Study Visits

1. कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को शैक्षणिक दौरे आयोजित करने से पहले मुर्गांव पत्तन प्राधिकरण से औपचारिक मंजूरी लेनी होगी। एक विस्तृत यात्रा कार्यक्रम और यात्रा का उद्देश्य और पत्तन में आने वाले छात्रों/संकायों की सूची समीक्षा के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए। शैक्षणिक दौरों के लिए सचिव, एमपीए को पत्तन दौरे के इच्छित दिन से 15 दिन पहले ईमेल secretary@mptgoa.gov.in के माध्यम से अनुरोध किया जाए।
Colleges and Universities must seek formal approval from Mormugao Port Authority before organizing educational visits. A detailed itinerary and purpose of the visit and the list of students/faculties visiting the port should be submitted for review. Request for educational visits to be made to Secretary, MPA through email at :- secretary@mptgoa.gov.in in advance preferably 15 days prior to the intended day of visit to the Port.
2. प्रति 20 छात्रों के समूह के साथ कम से कम एक जिम्मेदार संकाय सदस्य होना आवश्यक है। संकाय सदस्यों को पूरे दौरे के दौरान छात्रों के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण में सक्रिय रूप से भाग लेना होगा। अनुमोदित/अनुमत सूची में से छात्र या संकाय के अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति को बंदरगाह पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
A minimum of one responsible faculty member per 20 students is required to accompany the group. Faculty members should actively participate in guiding and supervising students throughout the visit. No person other than the student or faculty from the approved/permitted list will be allowed to visit the Port. {{{{
3. मुर्गांव पत्तन में शैक्षणिक दौरे से पहले कॉलेजों/विश्वविद्यालयों को छात्रों के लिए एक प्री-विजिट ओरिएंटेशन आयोजित कर, उन्हें शैक्षिक दौरों के लिए व्यावसायिकता, अनुशासन और नियमों के पालन के महत्व से अवगत कराना होगा।
Prior to the educational visits to Mormugao Port Colleges/Universities are required to conduct a pre-visit orientation for students, emphasizing the importance of professionalism, discipline, and adherence to rules for educational visits.
4. छात्रों को अपनी शैक्षिक यात्राओं के दौरान एक निर्दिष्ट ड्रेस कोड का पालन करना होगा। छात्रों को कार्यालय के माहौल के अनुरूप शालीन कपड़े पहनने होंगे। छात्रों को पत्तन दौरे के दौरान अपना आईडी कार्ड ले आना होगा।
Students must adhere to a specified dress code during their educational visits. Students should wear decent/ formal clothing befitting office environment. The students should carry their individual ID Cards during the visit to the Port.
5. छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे पूरे दौरे के दौरान उच्च स्तर का अनुशासन और आदरभाव बनाए रखें। विघटनकारी व्यवहार, जिसमें तेज शोर, दौड़ना और अनुचित भाषा इस्तेमाल करना शामिल है, लेकिन यहीं तक सीमित नहीं है, को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
Students are expected to maintain a high level of discipline and respect throughout the visit. Disruptive behaviour, including but not limited to, loud noises, running, and inappropriate language, will not be tolerated.
6. पत्तन के संवेदनशील स्थानों पर फोटोग्राफी करना स्वीकार्य नहीं होगा।
Photography on sensitive locations of the Port will not be entertained.

7. सभी छात्रों और उनके साथ आने वाले संकाय सदस्य को मुरगांव पत्तन प्राधिकरण के सुरक्षा नियमों और दिशानिर्देशों का पालन करना होगा ।
All students and accompanying faculty must adhere to safety regulations and guidelines provided by Mormugao Port Authority.
8. अध्ययन यात्रा के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति या अप्रत्याशित परिस्थितियों की स्थिति में, मुरगांव पत्तन प्राधिकरण जिम्मेदारी नहीं उठाएगा। स्थिति को उचित रूप से निपटाने और प्रबंधित करने की एकमात्र जिम्मेदारी संबंधित कॉलेज /विश्वविद्यालय की होगी।
In the event of any untoward situation or unforeseen circumstances during the study visit, Mormugao Port Authority will not bear the responsibility. The sole responsibility will lie with the concerned College /University to address and manage the situation appropriately.
9. पत्तन दौरे के दौरान छात्रों/टीम को कोई परिवहन या कोई अन्य संबद्ध सुविधाएं प्रदान नहीं की जाएंगी। छात्रों/टीम को पत्तन में जाने के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी। वाहन संख्या, चालक का नाम, लाइसेंस की प्रति और आरसी बुक सहित विवरण जमा करना होगा।
No transport or any other allied facilities will be provided to the students/ team during the visit to the Port. The students/ Team should make their own arrangements to visit the Port. Details including vehicle no., Name of the Driver, Copy of License and RC Book to be submitted.
10. छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे समय के पाबंद रहें और यात्रा के लिए निर्धारित समय का पालन करना होगा । किसी भी देरी के बारे में संबंधित अधिकारियों को अग्रिम में सूचित करना होगा ।
Students are expected to be punctual and adhere to the designated timings for visit. Any delays must be communicated in advance to the respective authorities.
11. छात्रों को सख्त गोपनीयता का पालन करना होगा और मुरगांव पत्तन प्रचालन से संबंधित किसी भी संवेदनशील या गोपनीय जानकारी का खुलासा न किया जाए।
Students must adhere to strict confidentiality and not disclose any sensitive or confidential information related to Mormugao Port operations.
12. शैक्षणिक दौरो की मंजूरी उपरोक्त नियमों और दिशानिर्देशों की स्वीकृति के अधीन होगी, जिसे संबंधित कॉलेज/विश्वविद्यालय द्वारा कॉलेज/विश्वविद्यालय के अधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित सहमति प्रपत्र (एमपीए द्वारा निर्धारित) के माध्यम से अग्रिम रूप से सूचित करना होगा।
Approval of the educational visits will be subject to the acceptance of the above rules and guidelines which is to be conveyed by the concerned College/University in advance through the **Consent Form (enclosed as Annexure- I)** duly signed by the Authorised Official of College/University.